बिहार सरकार

बिहार सरकार
न्यायालय समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय
(मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग)

दूरभाषः– 06346–232124 (का0)
दूरभाषः– 06346–232490 (आ0)
फैक्सः– 06346–232767
ई–मेल–dm-lakhisarai.bhi@nic.in

पत्रांक–................/म0 नि0 लखीसराय दिनांक–..........................

प्रेषकः– जिला पदाधिकारी
लखीसराय।

सेवा में,

निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार पटना।

विषयः– अधिहरित (Confiscated) वाहनों की निलामी के लिए सूचना प्रकाशन के संबंध में।।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 में प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए मादक द्रव्यों के व्यापार–आदि में प्रयुक्त वाहनों का राज्यसात किया गया है। राज्यसात किये गये वाहनों कि निलामी निविदा–सह–डाक प्रणाली के द्वारा करने हेतु सूचना आम लोगों की जानकारी हेतु प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना आवश्यक है।

अतः प्रकाशित होने वाली निलामीपत्र कि प्रतियाँ, सी.डी. कुर्तिदेव 10 एम.एस. ऑफिस 2007 में तैयार कर इसके साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। अनुरोध है कि इसे प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में आम लोगों के सूचनार्थ शीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह0

जिला पदाधिकारी
लखीसराय।

ज्ञापांक–612/म0नि0 लखीसराय, दिनांक–10-12-2018

प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं प्रावेधिकी पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ। अनुरोध है कि विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु जिला के बेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
लखीसराय।

बिहार सरकार

बिहार सरकार
न्यायालय समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय
(मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग)

दूरभाषः– 06346–232124 (का0)
दूरभाषः– 06346–232490 (आ0)
फैक्सः– 06346–232767
ई–मेल–dm-lakhisarai.bhi@nic.in

अधिहरित (Confiscated) वाहन की निलामी सूचना :–

लखीसराय जिला अन्तर्गत विभिन्न थाना/उत्पाद वाद काण्डों में मादक द्रव्यों के व्यापार आदि में प्रयुक्त जप्त वाहनों को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यसात किया गया है, जिसकी निलामी निविदा–सह–डाक प्रणाली के द्वारा मद्यनिषेध एवं उत्पाद कार्यालय, समाहरणालय लखीसराय में दिनांक–28.12.2018 को 11:00 बजे पूर्वा0 से तीन सदस्यीय कमिटी द्वारा की जायेगी।

क्र0 सं0	सम्पहरणा वाद संख्या	थाना का नाम (वाहन अभिरक्षा स्थल)	थाना वाद संख्या	राज्यसात वाहन का विवरण एवं निबंधन संख्या	न्यायालय आदेश का विवरण	मोटरयान निरीक्षक द्वारा निर्धारित न्यूनतम रक्षित मूल्य (रू0 में)	न्यूनतम रक्षित मूल्य का 10% अग्रधन की राशि (रू0 मे)	अभ्युक्ति
01.	8/17	बड़हिया	51/17	जेस्ट कार BR-09Q-8491	2047 विधि/ 06.12.2017	2,10,000.00	21,000.00	
02.	9/17	बड़हिया	47/17	अम्बेस्डर कार WB-38-8306	14.03.2018	45,000.00	4,500.00	
03.	4/17	बड़हिया	49/17	टाटा टीयागो कार Ch No-. MAT626241GKN46937 Eng.No- .REVTRN02NTYK79210	2041 विधि/ 06.12.2017	2,25,000.00	22,500.00	
04	19/17	कजरा	26/17	होण्डा साईन मोटसाईकिल BR-53B-5148	2049विधि/ 06.12.2017	27,000.00	2,700.00	
05.	13/17	लखीसराय	457/16	हीरो ग्लेमर मोटसाईकिल Ch. No- MBLJA06AMGGE24494 Eng. No.- JA06EJGGE38839	2048विधि/ 06.12.2017	45,000.00	4,500.00	
06.	40/17	लखीसराय (कवैया)	146/17	सुमो विक्टा JH-12B-4900	2044विधि/ 06.12.2017	2,00000.00	20,000.00	
07.	22/17	सूर्यगढ़ा (माणिकपुर)	197/16	बजाज डिस्कभर मोटसाईकिल BR-08B-7962	2043विधि/ 06.12.2017	22,000.00	2,200.00	
08	22/17	सूर्यगढ़ा (माणिकपुर)	197/16	कावासाकी बॉक्सर मोटसाईकिल Ch. No-DFFBKD71764 Eng. No.- DMMBKD92755	2043विधि/ 06.12.2017	10,000.00	1,000.00	
09.	94/16	लखीसराय	394/16	टेम्पू – BR-46P-0508	2042विधि/ 06.12.2017	45,000.00	4,500.00	
10.	07/17	लखीसराय (कवैया)	431/16	महिन्द्रा स्कार्पियो DL-3CAS-1507	1076विधि/ 11.11.2017	7,00000.00	70,000.00	
11.	06/17	लखीसराय (कवैया)	136/17	महिन्द्रा स्कार्पियो BR-06P-5032	1013विधि/ 14.10.2017	3,60,000.00	36,000.00	
12.	01/17	मेदनीचौकी	3/17	मोटरसाईकिल BR08D-6859	11.11.2017	20,000.00	2,000.00	
13.	17/17	सूर्यगढ़ा (माणिकपुर)	76/17	मोटरसाईकिल BR-53B-0477	14.03.2018	15,000.00	1,500.00	

14.	18/17	पीरी बाजार	40/17	साईकिल	1077विधि/ 11.11.2017	800.00	80.00	
15	10/17	सूर्यगढ़ा	17/17	महिन्द्रा 407 BR-09R-6357	2031विधि/ 04.12.2017	2,50,000.00	25,000.00	
16.	20/17	पीरी बाजार	50/17	मोटरसाईकिल BR-08A-3498	2030विधि/ 04.12.2017	18,000.00	1,800.00	

निलामी कि शर्ते निम्बत है:–

1. निलामी "**जैसा है जहाँ है**" आधार पर होना तय हुआ है।
2. उपर्युक्त वाहनों के विरूद्ध अगर सक्षम न्यायालय में मामला दायर किया गया है या विचाराधीन है तो वैसे मामलें में साक्ष्य के साथ इसकी सूचना वाहन मालिक को निलामी समिति के समक्ष या मद्यनिषेध एवं उत्पाद कार्यालय समाहरणालय लखीसराय में निलामी के निर्धारित तिथि के पूर्व तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. इच्छुक आवेदक को निलामी में भाग लेने के पूर्व अपने आवेदन के साथ सुरक्षित जमा के रूप में प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य का 10% किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से अधीक्षक उत्पाद, लखीसराय के पदनाम से भुगतेय निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा जमा करना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में नकद जमा भी स्वीकार्य होगा।
4. इस निलामी में आने वाले उच्चतम मूल्य का भुगतान कर वाहन प्राप्त करने का एक मौका वाहन के वैधिक मालिक को दिया जाएगा, यदि वे उस मूल्य को अदा कर वाहन नहीं प्राप्त करते है, तब यह वाहन उच्चतम बोलीकर्त्ता को निलामी राशि की भुगतान के बाद दी जाएगी।
5. निलामी में सफल बोलीदाता का अग्रधन राशि निलामी राशि में समायोजित कर ली जाएगी साथ ही उच्चतम बोली की राशि का 50 प्रतिशत निलामी स्थल पर ही तुरंत जमा करना होगा तथा शेष राशि निलामी के 03 (तीन) दिनों के अंदर जमा करना होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर बोलीदाता द्वारा पूर्व में जमा की गयी राशि जब्त करते हुए वाहन की निलामी नये सिरे से की जाएगी।
6. असफल आवेदकों के उक्त सुरक्षित जमा राशि को निलामी के पश्चात् वापस कर दिया जाएगा परन्तु निलामी में भाग लेकर एवं अधिकतम बोली लगाने के पश्चात् निलामी नहीं लेने पर उक्त राशि को जब्त करते हुए बोलीदाता का नाम काली सूची में दर्ज किया जाएगा।
7. वाहन निलामी में सफल क्रेता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के निमित मात्र निलामी किये जाने का अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा। वाहन संबंधी कागजात बनाने की जिम्मेबारी निलामी क्रेता की होगी। यदि किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से निलामी के पूर्व तक कोई आपति दर्ज नहीं की जाती है तो वाहन को सभी प्रकार के भारं से मुक्त मानते हुए निलामी की जायेगी। निलामी की राशि में किसी प्रकार का कर समाहित नहीं है। निलाम क्रेता को नियमानुसार सभी देय करों का भुगतान करना होगा।
8. निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक क्रेता निलामी की तिथि से पूर्व राज्यसात किये गये वाहनों को अभिरक्षा स्थल पर जाकर देख सकते हैं।
9. वाहन निलामी समिति के पास निलामी की प्रक्रिया को पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
10. माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में संबंधित वादों में निलामी की कार्रवाई न्याय निर्णय के अनुसार स्वीकार्य होगी।
11. इच्छुक उम्मीदवार अपना निविदा/आवेदन अपना अभिप्रामाणित फोटो, अपनी पहचान–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति आदि कागजातों को संलग्न कर मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक–26.12.2018 के सायं 05:00 बजे तक मद्यनिषेध एवं उत्पाद कार्यालय समाहरणालय लखीसराय में जमा कर सकते है। विस्तृत जानकारी मद्यनिषेध एवं उत्पाद कार्यालय समाहरणालय लखीसराय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकता है।

अधीक्षक मद्यनिषेध
लखीसराय।

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।